**फर्द अहकाम**
(नियम–26)

# अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

**नाथू पिता डालू मेघवाल निवासी चांद्रा खेडी तहसील बडीसादडी वगैरा**
**बनाम**
**जगदीशचन्द्र पिता जगन्नाथ मेघवाल निवासी जलोदा जागीर वगैरा**

**प्रकरण संख्या 171/2022 (रा.अ.)**

| तारीख हुक्म | *हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज* | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29.05.24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट्स उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स की तामील शेष है। अधिवक्ता अपीलांट्स ने आज भी रेस्पोडेन्ट्स की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक लगभग 02 वर्ष अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट्स की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए है। जबकि पूर्व पेशी दिनांक 09.05.2024 को अपीलांट्स को न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर नोटिस प्रोसेस पेश नहीं करने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी अधिवक्ता अपीलांट्स ने आज भी रेस्पोडेन्ट्स की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किये हैं अर्थात् अधिवक्ता अपीलांट्स अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब नोटिस के अभाव में प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |